



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270790
CG-DL-E-10032026-270790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1171]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1171]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1223(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह संतुष्ट होने के पश्चात कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, एनएच 51 (लिवडी-वढवान-सुरेन्द्रनगर-ध्रांगधरा-कुडा) सड़क के निर्माण (चौड़ीकरण/पक्की कंधे सहित दो लेन/चार लेन आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक है। गुजरात राज्य के सुरेन्द्रनगर जिले में किमी.38+200 से किमी.85+118 तक की भूमि, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उपधारा (1) के तहत उक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति कर सकता है।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डिप्टी कलेक्टर, प्रथम तल तालुका सेवा सदन, ध्रांगधरा जिला सुरेन्द्रनगर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसके आधार बताए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो अथवा किसी विधि व्यवसायी द्वारा, तथा ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात तथा ऐसी आगे की जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जैसा सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उपधारा (2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

उनकी अधिसूचना के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि की भूमि योजनाएं तथा अन्य विवरण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में कार्यालय समय (10:30 बजे से 18:10 बजे तक) के दौरान उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है, सिवाय सार्वजनिक अवकाशों तथा राजपत्रित अवकाशों के।

अनुसूची

गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिलेमें NH51 (लिंबडी- वढवाण-सुरेंद्रनगर-धांगधरा-कूडा) के कि.मी. 38+200 से 85+118 के बीच सड़क पर आने वाली संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के साथ अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: सुरेंद्रनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धरांगधरा					
गांव का नाम: नवलगढ़					
1	105	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0262 (हेक्टेयर)	0.0262
2	109	निजी	एग्रीकल्चर	0.0064 (हेक्टेयर)	0.0064
3	110	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0279 (हेक्टेयर)	0.0279
4	111	निजी	एग्रीकल्चर	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
5	114	निजी	एग्रीकल्चर	0.0106 (हेक्टेयर)	0.0106
6	115	निजी	एग्रीकल्चर	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
7	116	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0271 (हेक्टेयर)	0.0271
8	119	निजी	एग्रीकल्चर	0.0058 (हेक्टेयर)	0.0058
9	122	निजी	एग्रीकल्चर	0.0029 (हेक्टेयर)	0.0029
10	123	निजी	एग्रीकल्चर	0.0155 (हेक्टेयर)	0.0155
11	128	निजी	एग्रीकल्चर	0.0249 (हेक्टेयर)	0.0249
12	130	निजी	एग्रीकल्चर	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
13	131	निजी	एग्रीकल्चर	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
14	143	निजी	एग्रीकल्चर	0.0284 (हेक्टेयर)	0.0284
15	146	निजी	एग्रीकल्चर	0.0126 (हेक्टेयर)	0.0126
16	147	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0085 (हेक्टेयर)	0.0085
17	149/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.0483 (हेक्टेयर)	0.0483
18	149/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
19	154	निजी	एग्रीकल्चर	0.0573 (हेक्टेयर)	0.0573

20	155	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.047 (हेक्टेयर)	0.047
21	192	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0131 (हेक्टेयर)	0.0131
22	245/2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0583 (हेक्टेयर)	0.0583
23	250	निजी	एग्रीकल्चर	0.0383 (हेक्टेयर)	0.0383
24	259	निजी	एग्रीकल्चर	0.0239 (हेक्टेयर)	0.0239
25	260	निजी	एग्रीकल्चर	0.0495 (हेक्टेयर)	0.0495
26	263	निजी	एग्रीकल्चर	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
27	269	निजी	एग्रीकल्चर	0.0226 (हेक्टेयर)	0.0226
28	270	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0083 (हेक्टेयर)	0.0083
29	271	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0481 (हेक्टेयर)	0.0481
30	326	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0046 (हेक्टेयर)	0.0046
31	412	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0078 (हेक्टेयर)	0.0078
32	413	निजी	एग्रीकल्चर	0.0327 (हेक्टेयर)	0.0327
33	497	निजी	एग्रीकल्चर	0.0537 (हेक्टेयर)	0.0537
34	499	निजी	एग्रीकल्चर	0.0388 (हेक्टेयर)	0.0388
35	529	निजी	एग्रीकल्चर	0.0611 (हेक्टेयर)	0.0611
36	530	निजी	एग्रीकल्चर	0.0624 (हेक्टेयर)	0.0624
37	538	निजी	एग्रीकल्चर	0.0868 (हेक्टेयर)	0.0868
38	539	निजी	एग्रीकल्चर	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
39	540	निजी	एग्रीकल्चर	0.0263 (हेक्टेयर)	0.0263
40	541	निजी	एग्रीकल्चर	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
41	818	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0007 (हेक्टेयर)	0.0007
गांव का नाम: खंभदा					
42	117	निजी	एग्रीकल्चर	0.0222 (हेक्टेयर)	0.0222
43	119	निजी	एग्रीकल्चर	0.0083 (हेक्टेयर)	0.0083
44	120	निजी	एग्रीकल्चर	0.0198 (हेक्टेयर)	0.0198
45	121	निजी	एग्रीकल्चर	0.0069 (हेक्टेयर)	0.0069
46	122	निजी	एग्रीकल्चर	0.0181 (हेक्टेयर)	0.0181
47	123	निजी	एग्रीकल्चर	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
48	125	निजी	एग्रीकल्चर	0.0261 (हेक्टेयर)	0.0261

49	126	निजी	एग्रीकल्चर	0.0356 (हेक्टेयर)	0.0356
50	127	निजी	एग्रीकल्चर	0.0226 (हेक्टेयर)	0.0226
51	128	निजी	एग्रीकल्चर	0.0234 (हेक्टेयर)	0.0234
52	129	निजी	एग्रीकल्चर	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
53	131	निजी	एग्रीकल्चर	0.0199 (हेक्टेयर)	0.0199
54	132	निजी	एग्रीकल्चर	0.0209 (हेक्टेयर)	0.0209
55	141	निजी	एग्रीकल्चर	0.0357 (हेक्टेयर)	0.0357
56	212	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
57	446	निजी	एग्रीकल्चर	0.0478 (हेक्टेयर)	0.0478
58	449	निजी	एग्रीकल्चर	0.0961 (हेक्टेयर)	0.0961
59	450	निजी	एग्रीकल्चर	0.084 (हेक्टेयर)	0.084
60	451	निजी	एग्रीकल्चर	0.0044 (हेक्टेयर)	0.0044
61	452	निजी	एग्रीकल्चर	0.0207 (हेक्टेयर)	0.0207
62	453	निजी	एग्रीकल्चर	0.0147 (हेक्टेयर)	0.0147
63	457	निजी	एग्रीकल्चर	0.0027 (हेक्टेयर)	0.0027
64	463	निजी	एग्रीकल्चर	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
गांव का नाम: प्रतापपुर					
65	308	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.1307 (हेक्टेयर)	0.1307
66	309	निजी	एग्रीकल्चर	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
67	311	निजी	एग्रीकल्चर	0.0047 (हेक्टेयर)	0.0047
68	327	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.5418 (हेक्टेयर)	0.5418
69	330	निजी	एग्रीकल्चर	0.0606 (हेक्टेयर)	0.0606
गांव का नाम: राजसिटपुर					
70	1631	निजी	एग्रीकल्चर	0.095 (हेक्टेयर)	0.095
71	1632	निजी	एग्रीकल्चर	0.28 (हेक्टेयर)	0.28
72	1633	निजी	एग्रीकल्चर	0.0958 (हेक्टेयर)	0.0958
73	1688	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.1537 (हेक्टेयर)	0.1537
74	1689	निजी	एग्रीकल्चर	0.279 (हेक्टेयर)	0.279
75	1690	निजी	एग्रीकल्चर	0.1802 (हेक्टेयर)	0.1802
गांव का नाम: प्राथगढ़					
76	236	निजी	एग्रीकल्चर	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
77	237	निजी	एग्रीकल्चर	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
78	243	निजी	एग्रीकल्चर	0.624 (हेक्टेयर)	0.624

79	283	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
80	320	निजी	एग्रीकल्चर	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
गांव का नाम: धरंगाधरा					
81	452/ P2	निजी	एग्रीकल्चर	0.1426 (हेक्टेयर)	0.1426
Total					4.3445

[फा. सं. 06/2019/GJ/ZONE-V/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2026

S.O. 1223(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/ two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH51 (LIMBDI-WADHWAN-SURENDRANAGAR-DHRANGADHRA-KUDA) Road in the stretch of land from Km.38+200 to Km.85+118 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, DEPUTY COLLECTOR, FIRST FLOOR TALUKA SEVA SADAN, DHRANGADHRA DISTRICT SURENDRANAGAR in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority during office hours (10:30 hrs to 18:10 hrs) except on Public Holidays and Gazetted Holidays.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH-51 (LIMBDI-WADHWAN-SURENDRANAGAR-DHRANGADHRA-KUDA) Road in the stretch of land from Km.38+200 to Km.85+118 in the district of SURENDRANAGAR in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: SURENDRANAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dhrangadhra					
Village: Navalgadh					
1	105	Government	Non Agriculture	0.0262 (Hectare)	0.0262
2	109	Private	Agriculture	0.0064 (Hectare)	0.0064

3	110	Government	Non Agriculture	0.0279 (Hectare)	0.0279
4	111	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
5	114	Private	Agriculture	0.0106 (Hectare)	0.0106
6	115	Private	Agriculture	0.0002 (Hectare)	0.0002
7	116	Government	Non Agriculture	0.0271 (Hectare)	0.0271
8	119	Private	Agriculture	0.0058 (Hectare)	0.0058
9	122	Private	Agriculture	0.0029 (Hectare)	0.0029
10	123	Private	Agriculture	0.0155 (Hectare)	0.0155
11	128	Private	Agriculture	0.0249 (Hectare)	0.0249
12	130	Private	Agriculture	0.003 (Hectare)	0.003
13	131	Private	Agriculture	0.0011 (Hectare)	0.0011
14	143	Private	Agriculture	0.0284 (Hectare)	0.0284
15	146	Private	Agriculture	0.0126 (Hectare)	0.0126
16	147	Private	Non Agriculture	0.0085 (Hectare)	0.0085
17	149/1	Private	Agriculture	0.0483 (Hectare)	0.0483
18	149/2	Private	Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
19	154	Private	Agriculture	0.0573 (Hectare)	0.0573
20	155	Private	Non Agriculture	0.047 (Hectare)	0.047
21	192	Government	Non Agriculture	0.0131 (Hectare)	0.0131
22	245/2	Private	Non Agriculture	0.0583 (Hectare)	0.0583
23	250	Private	Agriculture	0.0383 (Hectare)	0.0383
24	259	Private	Agriculture	0.0239 (Hectare)	0.0239
25	260	Private	Agriculture	0.0495 (Hectare)	0.0495
26	263	Private	Agriculture	0.0061 (Hectare)	0.0061
27	269	Private	Agriculture	0.0226 (Hectare)	0.0226
28	270	Private	Non Agriculture	0.0083 (Hectare)	0.0083
29	271	Private	Non Agriculture	0.0481 (Hectare)	0.0481
30	326	Private	Non Agriculture	0.0046 (Hectare)	0.0046
31	412	Government	Non Agriculture	0.0078 (Hectare)	0.0078
32	413	Private	Agriculture	0.0327 (Hectare)	0.0327
33	497	Private	Agriculture	0.0537 (Hectare)	0.0537
34	499	Private	Agriculture	0.0388 (Hectare)	0.0388
35	529	Private	Agriculture	0.0611 (Hectare)	0.0611
36	530	Private	Agriculture	0.0624 (Hectare)	0.0624
37	538	Private	Agriculture	0.0868 (Hectare)	0.0868
38	539	Private	Agriculture	0.077 (Hectare)	0.077
39	540	Private	Agriculture	0.0263 (Hectare)	0.0263

40	541	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
41	818	Government	Non Agriculture	0.0007 (Hectare)	0.0007
Village: Khambhda					
42	117	Private	Agriculture	0.0222 (Hectare)	0.0222
43	119	Private	Agriculture	0.0083 (Hectare)	0.0083
44	120	Private	Agriculture	0.0198 (Hectare)	0.0198
45	121	Private	Agriculture	0.0069 (Hectare)	0.0069
46	122	Private	Agriculture	0.0181 (Hectare)	0.0181
47	123	Private	Agriculture	0.077 (Hectare)	0.077
48	125	Private	Agriculture	0.0261 (Hectare)	0.0261
49	126	Private	Agriculture	0.0356 (Hectare)	0.0356
50	127	Private	Agriculture	0.0226 (Hectare)	0.0226
51	128	Private	Agriculture	0.0234 (Hectare)	0.0234
52	129	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
53	131	Private	Agriculture	0.0199 (Hectare)	0.0199
54	132	Private	Agriculture	0.0209 (Hectare)	0.0209
55	141	Private	Agriculture	0.0357 (Hectare)	0.0357
56	212	Government	Non Agriculture	0.0001 (Hectare)	0.0001
57	446	Private	Agriculture	0.0478 (Hectare)	0.0478
58	449	Private	Agriculture	0.0961 (Hectare)	0.0961
59	450	Private	Agriculture	0.084 (Hectare)	0.084
60	451	Private	Agriculture	0.0044 (Hectare)	0.0044
61	452	Private	Agriculture	0.0207 (Hectare)	0.0207
62	453	Private	Agriculture	0.0147 (Hectare)	0.0147
63	457	Private	Agriculture	0.0027 (Hectare)	0.0027
64	463	Private	Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
Village: Pratappur					
65	308	Government	Non Agriculture	0.1307 (Hectare)	0.1307
66	309	Private	Agriculture	0.006 (Hectare)	0.006
67	311	Private	Agriculture	0.0047 (Hectare)	0.0047
68	327	Government	Non Agriculture	0.5418 (Hectare)	0.5418
69	330	Private	Agriculture	0.0606 (Hectare)	0.0606
Village: Rajsitapur					
70	1631	Private	Agriculture	0.095 (Hectare)	0.095
71	1632	Private	Agriculture	0.28 (Hectare)	0.28
72	1633	Private	Agriculture	0.0958 (Hectare)	0.0958
73	1688	Government	Non Agriculture	0.1537 (Hectare)	0.1537
74	1689	Private	Agriculture	0.279 (Hectare)	0.279
75	1690	Private	Agriculture	0.1802 (Hectare)	0.1802
Village: Prathugadh					
76	236	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004

77	237	Private	Agriculture	0.0003 (Hectare)	0.0003
78	243	Private	Agriculture	0.624 (Hectare)	0.624
79	283	Government	Non Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
80	320	Private	Agriculture	0.0013 (Hectare)	0.0013
Village: Dhrangadhra					
81	452/ P2	Private	Agriculture	0.1426 (Hectare)	0.1426
Total					4.3445

[F. No. 06/2019/GJ/ZONE-V/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director